बिहार विधान परिषद् से प्राप्त तारांकित प्रश्न

श्री नवल किशोर यादव , स0वि0प0 द्वारा 174वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–आर0आर0–1 के संबंध में। क्या मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना

तारांकित प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सही है कि दिनांक–16–17.06.13 को उत्तराखंड में आये भीषण विपदा में बिहार के विभिन्न जिलों के 894 लोगों में 74 लोगों का लापता होने की सूचना देहरादून कंट्रोल रूम से दी गई है, जिनका अबतक कोई अता–पता नहीं चल सका है,	आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग अंतर्गत राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC) उत्तराखंड आपदा पूर्व से ही 24X7 अवधि में कार्य कर रहा है। विभागीय आदेश सं0–2460 दिनांक–22.06.2013 द्वारा देहरादून (उत्तराखंड) में प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नेतृत्व में बिहार के तीर्थ यात्रियों की सुविधा एवं सहायता हेतु शिविर कार्यालय की स्थापना की गई एवं SEOC में 17.06.2013 से राज्य के लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तराखंड स्थित सहायता शिविर, उत्तराखंड राज्य सरकार के नियंत्रण कक्ष एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण कक्ष से लगातार समन्वय कर बिहार राज्य के उत्तराखंड आपदा में फँसे/लापता तीर्थयात्रियों को निकालने की कार्रवाई की गई। कुल प्राप्त 820 लोगों की सूचना के आधार पर वर्त्तमान में मात्र 58 व्यक्ति ही लापता है। शेष लोग अपने घर पहुँच चुके है।
(ख) क्या यह सही है कि बचाये गये लोगों में से देहरादून के विभिन्न नर्सिंग होम/अस्पतालों में इलाज एवं राहत कार्य चल रहा है जिन्हें समुचित इलाज कराने एवं उन्हें सही सलामत घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है,	अस्वीकारात्मक । उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। देहरादून स्थित राज्य के राहत शिविर के माध्यम से कुल 250 तीर्थयात्रियों को उनके घर तक पहुँचने में सहयोग किया गया है।
(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बतायेगी कि अभी तक पीड़ितों को राहत पहुंचाने एवं उनकी समुचित इलाज कराने एवं लापता लोगों की पहचान करने के लिए कौन–कौन सी कार्रवाई की है और उनकी अध्यतन स्थिति क्या है ?	उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने हेतु संकल्प सं0–2881 दिनांक–12.07.2013 द्वारा प्रावधान किया गया है। अभी तक लापता 58 व्यक्तियों की सूची तैयार कर विभागीय पत्रांक 3062 दिनांक–22.07.2013 द्वारा उत्तराखंड सरकार को भेज दी गई है। वहाँ से सत्यापन के पश्चात् अनुग्रह अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जायगी। यदि उत्तराखंड सरकार से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है तो समाचार पत्रों में फोटोग्राफ के साथ लापता व्यक्तियों की सूचना देने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया जायगा तथा 30 दिनों के अन्दर उनके जीवित होने की सूचना न मिलने की स्थिति में उनके निकटतम आश्रित को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 1 लाख रूपये तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 1 लाख रूपये के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जायगा। यह अनुदान उत्तराखंड सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त होगा।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–04 / वि0प0ता0प्र0–31 / 2013 / ..... / आ0प्र0, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–अवर सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना को उनके पत्रांक 4240 (5) दिनांक–08.07.2013 के क्रम में 05 (पाँच) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(विपिन कुमार राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–04 / वि0प0ता0प्र0–31 / 2013 / 3157 / आ0प्र0, दिनांक– 25/7/13.

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0 टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी